केन्द्रीय भण्डारण निगम के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: केन्द्रीय भण्डारण निगम के क्या कार्य हैं ?

उत्तर: भंडारण निगम अधिनियम, 1962 के अंतर्गत केन्द्रीय भंडारण निगम के कार्य निम्नानुसार हैं:

(क) भारत तथा विदेशों में उपयुक्त स्थानों पर गोदामों तथा भांडागारों का अधिग्रहण करना तथा निर्माण करना।

(ख) निजी व्यक्तियों, सहकारी समितियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरक, कृषि उपस्करों तथा अधिसूचित जिंसों के भंडारण के लिए भांडागार चलाना।

(ग) भांडागारों से गंतव्य स्थान तक कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा अधिसूचित जिन्सों के परिवहन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(घ) राज्य भंडारण निगमों की शेयर पूंजी में योगदान देना।

(ङ) सरकार अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित कंपनी अथवा संसद या राज्य विधानपरिषद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित निगमित निकाय अथवा कृषि उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि उपकरणों तथा अधिसूचित जिंसों के भंडारण तथा परिवहन के उद्देश्य से बनाई गई सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

(च) केंदीय सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी केंद्रीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम अथवा विदेशी कंपनी अथवा इसकी अनुषंगी कंपनियों सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाई गयी तथा पंजीकृत किसी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में इसकी कार्यप्रणाली को चलाने में शामिल होना।

(छ) सहायक कंपनी की स्थापना करना।

(ज) भांडागारों से बाहर कृषि उपज तथा अधिसूचित जिन्सों के लिए विसंक्रमण सेवाएं प्रदान करना आदि।

(झ) कृषि उपज अथवा अधिसूचित जिंसों से संबंधित परामर्श सेवाएं, सहायता, वित्तपोषण, कार्यक्रम अथवा परियोजना उपलब्ध कराना तथा इसके कार्यों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कोई अन्य कार्यकलाप करना।

प्रश्न: केन्द्रीय भण्डारण निगम की पूंजीगत संरचना और शेयर होल्डिंग पद्धति क्या है?

उत्तर: दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम की प्राधिकृत तथा पेड-अप शेयर पूंजी क्रमश: 100 करोड़ रुपये तथा 68.02 करोड़ रुपए थी। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम के शेयरधारकों तथा शेयर होल्डिंग पद्धति का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

शेयरधारक	पेड-अप (करोड़ रुपए में)	शेयरधारिता का प्रतिशत
केंद्रीय सरकार	37.42	55.02
भारतीय स्टेट बैंक	14.74	21.67
अन्य अनुसूचित बैंक	10.92	16.05
बीमा कंपनियां	4.78	7.02
सहकारी समितियां	0.15	0.23
कृषि उपज अथवा किसी अधिसूचित जिंस में व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्था अथवा कंपनी	0.01	0.01

प्रश्न: केन्द्रीय भण्डारण निगम की कुल भंडारण क्षमता कितनी है?

उत्तर: दिनांक 1.11.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास कुल 465 भांडागार हैं जिनकी कुल प्रचालनात्मक भंडारण क्षमता 105.58 लाख टन है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क)	निर्मित क्षमता	73.96 लाख टन
ख)	किराये पर ली गयी क्षमता	10.27 लाख टन
ग)	खुले स्थान वाली (ओपन) क्षमता	13.69 लाख टन
घ)	प्रबंधन	07.66 लाख टन

इन भांडागारों में सीमा शुल्क वाले भांडागार, कंटेनर मालभाड़ा स्टेशन (सीएफएस)/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), एयर कार्गो कॉम्पलैक्स, समेकित जांच चौकियां/ट्रक टर्मिनल शामिल हैं।

प्रश्न: केन्द्रीय भंडारण निगम अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रहा है?

उत्तर: केन्द्रीय भंडारण निगम अपनी भूमि पर गोदामों के निर्माण के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध भंडारण योग्य क्षमता को किराए पर लेकर नियमित रूप से अपनी भंडारण क्षमता बढ़ा रहा है। विगत 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा सृजित भंडारण क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**सृजित भंडारण क्षमता (लाख टन में)**
2008-09	0.54
2009-10	0.95
2010-11	1.45
2011-12	2.09
2012-13	2.35

प्रश्न: केन्द्रीय भंडारण निगम की प्रमुख गतिविधियां क्या हैं?

उत्तर: केन्द्रीय भंडारण निगम अपने कई ग्राहकों जिनमें निजी और सार्वजनिक संस्थाएं, सरकारी समितियां, व्यापारी, किसान, आयातक/निर्यातक आदि शामिल हैं को 400 से अधिक जिंसों के लिए संग्रहण तथा भंडारण सुविधाएं प्रदान करता है। संग्रहण तथा भंडारण सुविधाएँ प्रदान करने के अतिरिक्त केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित गतिविधियां भी संचालित करता है:-

1) ग्राहकों को उनके द्वार पर कीट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करना जिनमें सामान्य कीट नियंत्रण, हवाई जहाजों, रेल के डिब्बों का विसंक्रमण, कंटेनर/जलयानों का प्रधूमन, निर्माण के पूर्व तथा पश्चात दीमक निरोधी उपचार करना आदि।

2) आयात-निर्यात व्यापार की सहायता के लिए कंटेनर मालभाड़ा स्टेशन (सीएफएस)/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/एयर कार्गो कॉम्पलैक्स/ आईसीपी के कार्गो टर्मिनल आदि जैसी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।

3) जमाकर्ताओं के अनुरोध पर रखरखाव और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना।

4) गोदामों के निर्माण तथा भांडागारण संबंधी गतिविधियों के लिए परामर्श सेवाएँ।

5) खाद्यान्नों के खेतों पर सुरक्षित भंडारण के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना तथा सस्ती दर पर संस्थागत साख प्राप्त करने में उनकी सहायता करना।

प्रश्न: केन्द्रीय भंडारण निगम की भंडारण क्षमता का समग्र उपयोग कितना है?

उत्तर: दिनांक 1.11.2013 की स्थिति के अनुसार समग्र क्षमता उपयोग 85 प्रतिशत था। विगत 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम की औसत समग्र क्षमता उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)**
2008-09	82
2009-10	85
2010-11	88
2011-12	91
2012-13	93

प्रश्न: विगत 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर: विगत 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम के भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

मानदंड	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
क्षमता (लाख टन में)	**105.25**	**105.98**	**102.47**	**100.85**	**108.02**
स्वंय की /निर्मित क्षमता (लाख टन में)	**67.60**	**68.45**	**69.85**	**71.81**	**73.95**
क्षमता उपयोग (%)	**82**	**85**	**88**	**91**	**93**
खाद्यान्न उपयोग (कुल क्षमता का %)	**45**	**48**	**54**	**57**	**60**
टर्नओवर (करोड़ रूपए में)	**849.25**	**987.95**	**1,029.55**	**1,218.65**	**1,406.70**
कर पूर्व लाभ	**110.44**	**163.88**	**203.73**	**159.12***	**209.32**

(करोड़ रूपए में)					
कर पश्चात लाभ (करोड़ रूपए में)	110.46	130.52	136.17	100.46*	139.55
पीसीएस आय (करोड़ रूपए में)	12.56	14.14	15.93	16.81	20.26
टीएयू हैंडल्ड (लाख टीएयू)	10.59	11.21	12.32	11.55	10.96
निवल मूल्य (करोड़ रूपए में)	1,156.32	1,140.50	1,232.32	1,304.08	1,430.23
लाभांश (%)	30	38	40	40	41

प्रश्न: केन्द्रीय भांडारण निगम के निदेशक बोर्ड की संरचना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर: केन्द्रीय भंडारण निगम के निदेशक बोर्ड में 14 निदेशक हैं जिनमें से 06 निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं; एक निदेशक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया जाता है; एक निदेशक अन्य अनुसूचित बैंकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है; एक निदेशक सहकारी समितियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है एक निदेशक बीमा कंपनियों, निवेश करने वाली ट्रस्टों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों; तथा कृषि उपज तथा अधिसूचित जिन्सों का व्यापार करने वाले मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों एवं कंपनियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है; तीन कार्यात्मक निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा एक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।
केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 6 निदेशकों में से उपभेक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के दो अधिकारी होते हैं जिनका रैंक भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम नहीं होता है और चार गैर-सरकारी निदेशक होते हैं, जिनका चयन लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार खोज समिति (सर्च कमेटी) द्वारा किया जाता है।

प्रश्न: केन्द्रीय भांडारण निगम द्वारा किसानों के लाभ के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है?

उत्तर- केंद्रीय भंडारण निगम ऐसे बोनाफाइड किसानों को अपने भंडारण प्रभारों में 30 प्रतिशत की छूट देता है जो अपने उत्पाद का भंडारण केंद्रीय भंडारण निगम के भांडागारों

में करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय भंडारण निगम कटाई के बाद होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने और फार्म स्तर पर खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण भी देता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में किसानों को 1.00-1.50 क्विंटल क्षमता के मैटेलिक भंडारण बिन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे अपने उत्पाद/बीजों आदि का भंडारण कर सकें। केंद्रीय भंडारण निगम जमाकर्ताओं को परक्राम्य भंडारण रसीद भी जारी करता है और सस्ते संस्थागत ऋण प्राप्त करने में किसानों की सहायता भी करता है।

प्रश्न केंद्रीय भंडारण निगम की भंडारण क्षमता का जिन्स-वार उपयोग क्या है?

उत्तर: दिनांक 1.11.2013 की स्थिति के अनुसार जिन्स-वार उपयोग निम्नानुसार है:-

खाद्यान्न	(लाख टन में)
भारतीय खाद्य निगम	42.88
गैर-एफसीआई	8.26
जोड़	51.14
उर्वरक	2.80
अन्य जिंस (लाख टन में)	
बांडेड	2.33
सीएफएस/आईसीडी	11.79
अन्य	21.70
जोड़	35.82
सकल जोड़	89.76

प्रश्न- केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत क्या कार्य किए जाते हैं?

उत्तर: कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत किए जाने वाले कुछ कार्य निम्नानुसार हैं:-

i. कटाई के उपरान्त हानियों को न्यूनतम करने के संबंध में किसानों का प्रशिक्षण
ii. मैटेलिक भंडारण बिन का वितरण
iii. भागीदारी आधार पर ग्रामीण विपणन अवसंरचना की स्थापना
iv. ग्रामीण सह-शिक्षा/बालिका विद्यालयों में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना
v. ग्रामीण क्षेत्रों में बस शेल्टर बनाना
vi. ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर लैब/पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करना
vii. मध्याह्न भोजन के वितरण के लिए वाहनों की सहायता
viii. अन्यथा सक्षम (विक्लांग) व्यक्तियों को ट्राइसाइकिल/ व्हील चेयर वितरित करना
ix. सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लगाना
x. सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना
xi. सार्वजनिक स्थानों पर हाई मास्ट टावर लगाना

उक्त सूची उदाहरण के रूप में है तथा परिपूर्ण नहीं है।

प्रश्न- वर्ष 2013-14 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में महत्वपूर्ण पैरामीटर क्या हैं?

उत्तर: वर्ष 2013-14 के लिए समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में केंद्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है:-

i. 2.14 लाख टन अतिरिक्त भांडागारण क्षमता का सृजन।
ii. विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्यों में भांडागारण संबंधी मूलभूत सुविधाओं के विकास में 35 करोड़ रुपये का निवेश।
iii. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए खाद्य भंडारण प्रबंधन से संबंधित 175 कार्मिकों और अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षित करना।

प्रश्न - सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाऊस कंपनी लिमिटेड के बारे में बताएं?

उत्तर- सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाऊस कंपनी लि० (सी आर डब्लू सी) केन्द्रीय भंडारण निगम के 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी शेयर पूंजी 40.56 करोड़ रूपये है और यह 18 आर डब्लू सी प्रचालित कर रही है जो व्हाइटफील्ड (बैंगलोर), शकूरबस्ती, निशातपुरा, सनतनगर, नासिक रोड, बाडनेरा, गाजियाबाद, आलम नगर (लखनऊ), रोज़ा (शाहजहांपुर), कांडला(गुजरात), कुडाल नगर (मदुरै), यमुना ब्रिज (आगरा), कोरूक्कुपेट (चैन्नई), हिता (रांची), डेहरी-ऑन-सोन (बिहार), सासवड रोड (पुणे), दानकुनी (पश्चिम बंगाल) तथा मैसूर (कर्नाटक) में स्थित है। मुंबई में जोगेश्वरी में आर.डब्ल्यू.सी. का निर्माण किया जा रहा है।

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण की संरचना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर:- भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण का गठन भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत किया गया था और इसमें एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य हैं। प्राधिकरण की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है:-

नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
श्री दिनेश राय	अध्यक्ष	27.10.2010
श्री बी. के. बल	सदस्य	01.02.2011
-	सदस्य	रिक्त (10.08.2013 से)

प्रश्न 2 भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के मिशन और उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर: भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भांडागारण क्षेत्र में वृद्धि और विकास के जरिए किसानों के हितों की सुरक्षा की जाए। इसके मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं और बैंकों के बीच वित्तीय विश्वास में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की उपलब्धता में वृद्धि करना, वस्तुओं के वैज्ञानिक भांडागारण को प्रोत्साहित करना, वित्त पोषण की लागत को कम करना, लघु एवं कार्यकुशल आपूर्ति श्रृंखला का संवर्द्धन करना, ग्रेडिंग और गुणवत्ता के लिए पुरस्कार में वृद्धि करना और बेहतर कीमत जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

प्रश्न 3 एन0डब्ल्यू0आर0 किसानों के लिए किस प्रकार सहायक हैं?

उत्तर: भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई परक्राम्य भंडागार रसीदें किसानों को शीर्ष विपणन मौसम के दौरान कृषि उत्पादों की मजबूरन बिक्री से बचाने और फसलोत्तर भंडारण हानि से बचने में एन0डब्ल्यू0आर0 के बदले बैंकों से ऋण लेने में सहायक होगी।

प्रश्न 4 अधिनियम के तहत अधिसूचित पदार्थों (जिन्सों) की संख्या?

उत्तर: प्राधिकरण ने परक्राम्य भंडारण रसीद जारी करने हेतु अनाज, दलहन, तिलहन, मसालें, रबर, तम्बाकू, कॉफी आदि सहित 115 जिन्सों तथा शीघ्र नष्ट होने वाले 26 पदार्थों (जिन्सों) को शीत भंडारण के लिए अनुमोदित किया था।

प्रश्न 5 भाण्डागार (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 के अधीन कितने गोदामों को स्वीकृत किया गया हे?

उत्तर: 401 भांडागारों को प्रमाणित किया गया है जिनमें से केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम और निजी संगठनों के 15.51 लाख टन क्षमता वाले 361 भांडागारों को पंजीकृत किया गया है।

प्रश्न 6 क्या एन0डब्ल्यू0आर0 पर फसलोत्तर भंडारण ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं?

उत्तर: किसानों द्वारा मजबूरन की जाने वाली बिक्री को रोकने तथा भांडागार रसीद के बदले अपने उत्पादों के भण्डारण हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारक लघु और सीमांत किसानों को परक्राम्य भंडारण रसीद पर 7 प्रतिशत की दर से 6 माह की अवधि के लिए ब्याज पर छूट प्रदान की गई थी।

प्रश्न 7: भंडागारण (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 के तहत अब तक कौन से नियमों एवं विनियमों को अधिसूचित किया गया है?

उत्तर:- भंडागारण नियमावली (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 के तहत अधिसूचित नियम एवं विनियम निम्नलिखित हैं:-

1. भंडागारण (विकास एवं विनियम) प्रत्यायन एजेंसी पंजीकरण नियम, 2010

2. भंडागार पर (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2010

3. भंडागारण (विकास एवं विनियमन) अपीलीय प्राधिकारी क्रियाविधि नियम, 2010

4. भंडागारण (विकास एवं विनियमन) प्राधिकरण- लेखों और अभिलेखों का वार्षिक विवरण नियम, 2010

5. भंडागारण(विकास एवं विनियमन) प्राधिकरण- वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां (रिटर्न) नियम, 2010

6. भंडागारण (विकास एवं विनियमन) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन एवं सेवा शर्तें, 2010

7. भंडागारण (विकास एवं विनियमन), विकास एवं विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन एवं सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2010

8. भांडागारों के पंजीकरण भंडागारण (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) नियम, 2010

9. भंडागारण (विकास एवं विनियमन) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नियुक्ति नियम, 2013

10. भंडागारण (विकास एवं विनियमन) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2013

विनियामक:

1) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (प्रत्यायन एजेंसी का पंजीकरण) विनियम, 2011

2) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन) विनियम, 2011

3) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम, 2011

4) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (बैठक) विनियम, 2012

5) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अभिलेख और लेखे) विनियम, 2012

प्रश्न 8: भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लिए बजट सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर: वर्ष 2013-2014 के लिए भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को सहायतार्थ योजना मद में 6 करोड़ और तीस लाख रूपये की राशि निर्धारित की है।

प्रश्न 9: परक्राम्य भांडागार रसीद के क्या लाभ है?

उत्तर: परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ निम्नलिखित है:-

- ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि करना।
- वस्तुओं के वैज्ञानिक भांडागारण को प्रोत्साहित करना।
- वित्तपोषण लागत को कम करना।
- लघु एवं कार्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला।
- ग्रेडिंग और गुणवत्ता के लिए पुरस्कार में वृद्धि।
- बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन।
- किसानों को अधिक लाभ और उपभोक्ताओं को बेहतर(गुणवत्ता) सेवाएं।

प्रश्न 10: भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण की भाण्डागारण सलाहकार समिति के सदस्य कौन हैं?

उत्तर:-

I.	अध्यक्ष, भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण	अध्यक्ष
II.	सदस्य, भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण	सदस्य
III.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	सदस्य
IV.	अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग	सदस्य
V.	संयुक्त सचिव (संग्रह), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	सदस्य
VI.	संयुक्त सचिव/ कृषि विपणन सलाहकार,	

	कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
VII.	संयुक्त सचिव (उपभोक्ता मामले)	सदस्य
VIII.	प्रबंध निदेशक, केंद्रीय भंडारण निगम	सदस्य
IX.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो	सदस्य
X.	प्रबंध निदेशक, भारतीय कृषि बीमा कंपनी	सदस्य
XI.	भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
XII.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि, जो महाप्रबंधक के रैंक से कम न हो	सदस्य
XIII.	भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
XIV.	भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
XV.	किसान एसोसिएशन के प्रतिनिधि	सदस्य
XVI.	सहकारी समितियों के प्रतिनिधि	सदस्य
XVII.	निदेशक, भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण	सदस्य-सचिव

प्रश्न 11: सलाहकार समिति के क्या कार्य हैं?

उत्तर:- भंडागारण (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 की धारा 34 के अनुसार, भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यों के लिए डब्ल्यूएसी का गठन कर सकता है:-

(i) भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण को धारा 51 के अन्तर्गत विनियमों के संबंध में परामर्श देने के लिए।

(ii) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करने के लिए।

(iii) प्राधिकरण को ऐसे अन्य मामलों के संबंध में परामर्श देना, जो इसे भेजे गए हों।

Frequently Asked Questions (FAQs) on Central Warehousing Corporation (CWC)

Question: What are the functions of the Central Warehousing Corporation (CWC)?

Answer: The functions of the CWC as provided under the Warehousing Corporations Act, 1962 are as follows:

a) To acquire and build godowns and warehouses at suitable places in India or abroad.

b) To run warehouses for the storage of agricultural produce, seeds, manures, fertilizers, agricultural implements and notified commodities offered by individuals, cooperative societies and other institutions.

c) To arrange facilities for transport of agricultural produce, seeds, manures, fertilizers, agricultural implements and notified commodities to and from warehouses.

d) To subscribe to the share capital of the State Warehousing Corporations.

e) To act as an agent of the Government, or on behalf of a company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or a body corporate established by an Act of Parliament or of a State Legislature or a Cooperative Society for the purposes of purchase, sale, storage and distribution of agricultural produce, seeds, manures, fertilizers, agricultural implements and notified commodities.

f) To enter into, with the previous approval of the Central Government, joint ventures with any Corporation established by or under any Central Act or any State Act or with any company formed and registered under the Companies Act, 1956 including foreign company or through its subsidiary companies, for carrying out its functions.

g) To establish subsidiary companies.

h) To undertake disinfestations services outside its warehouses in respect of agricultural produce or notified commodities.

i) To provide consultancy services, assistance, finance, programmes or projects related to agricultural produce or notified commodities and to undertake any other activities considered incidental to its functions.

Question: What is the capital structure and shareholding pattern of CWC?

Answer: As on 31.3.2013, the authorized and paid-up share capital of CWC was Rs.100 crore and 68.02 crore, respectively. The shareholders and shareholding pattern of the CWC as on 31.3.2013 are as follows:

Shareholder	**Paid-up Capital** (Rs. in crore)	**% of shareholding**
Central Government	37.42	55.02
State Bank of India	14.74	21.67
Other Scheduled Bank	10.92	16.05
Insurance Companies	4.78	7.02
Cooperative Societies	0.15	0.23
Recognized Associations & Companies dealing in Agricultural Produce or any Notified Commodity	0.01	0.01

Question: What is the storage capacity of CWC?

Answer: As on 1.11.2013, CWC is operating 465 warehouses with a total operating storage capacity of 105.58 lakh MT as detailed below:

a) Constructed Capacity 73.96 lakh MT

b) Hired Capacity 10.27 lakh MT

c) Open Capacity 13.69 lakh MT

d) Management 07.66 lakh MT

These warehouses include Custom Bonded Warehouses, Container Freight Stations (CFSs)/Inland Container Depots (ICDs), Air Cargo Complexes, Integrated Check Post/Truck Terminal.

Question: How has CWC been augmenting its storage capacity?

Answer: CWC has been regularly augmenting its storage capacity by way of construction of godowns on its own land as well as through hiring suitable storageworthy capacity available in the vicinity. The storage capacity created by CWC during the last 5 years are as follows:

Year	**Storage Capacity Created** (in lakh MT)
2008-09	0.54
2009-10	0.95
2010-11	1.45
2011-12	2.09
2012-13	2.35

Question: What are the major activities of the CWC?

Answer: CWC provides storage and warehousing facilities for more than 400 commodities to wide range of clients comprising of public and private institutions, cooperative societies, traders, farmers, importers/exporters, etc. Besides providing the services for storage and warehousing, CWC also undertakes the following activities:

i) Providing Pest Control Services at the door step of customers which include general pest control, disinfestation of aircrafts, rail coaches, fumigation of containers/ships, pre and post construction anti termite treatment, etc.

ii) Providing infrastructure such as CFSs/ICDs/Air Cargo Complexes/Cargo Terminal of ICP etc. for supporting the EXIM trade.

iii) Providing handling and transport facilities at the request of the depositors.

iv) Consultancy of warehouse construction and warehousing related activities.

v) Training of farmers for safe storage of foodgrains at farm level and assisting them in securing cheap institutional credit.

Question: What has been the overall utilization of the storage capacity of CWC?

Answer: As on 1.11.2013 the overall capacity utilization was 85%. The average overall capacity utilization of CWC during the last 5 years are as follows:

Year	**Capacity Utilization** (in %)
2008-09	82
2009-10	85
2010-11	88
2011-12	91
2012-13	93

Question: What was the performance of the CWC during the last 5 years?

Answer: The physical and financial performance of the CWC during the last 5 years are as follows:

Parameter	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
Capacity (Lakh MT)	**105.25**	**105.98**	**102.47**	**100.85**	**108.02**
Owned/Constructed Capacity (Lakh MT)	**67.60**	**68.45**	**69.85**	**71.81**	**73.95**
Capacity Utilization (%)	**82**	**85**	**88**	**91**	**93**
Utilization by Foodgrains (% of total capacity)	**45**	**48**	**54**	**57**	**60**
Turnover (Rs. in crore)	**849.25**	**987.95**	**1,029.55**	**1,218.65**	**1,406.70**
Profit Before Tax (Rs. in crore)	**110.44**	**163.88**	**203.73**	**159.12***	**209.32**

Profit After Tax (Rs. in crore)	**110.46**	**130.52**	**136.17**	**100.46***	**139.55**
PCS Income (Rs. in crore)	**12.56**	**14.14**	**15.93**	**16.81**	**20.26**
TEUs Handled (Lakh TEUs)	**10.59**	**11.21**	**12.32**	**11.55**	**10.96**
Net worth (Rs. in crore)	**1,156.32**	**1,140.50**	**1,232.32**	**1,304.08**	**1,430.23**
Dividend (%)	**30**	**38**	**40**	**40**	**41**

Question: **What is the structure of Board of Directors of CWC?**

Answer: The Board of Directors of the CWC consists of 14 Directors of whom six directors are nominated by the Central Government; one director is nominated by the State Bank of India; one director is elected by other scheduled banks; one director is elected by co-operative societies; one director is elected by insurance companies; investment trusts and other financial institutions, recognised associations and companies dealing in agricultural produce or notified commodities; three functional directors are appointed by the Central Government and a managing director is appointed by the Central Government.

Out of the 6 Directors nominated by the Central Government, two are officers not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) and four are non-official directors, selected by the Search Committee as envisaged in the guidelines issued by the Department of Public Enterprises.

Question: **What are the facilities extended by the CWC for the benefit of farmers?**

Answer: CWC extends rebate of 30% on its storage charge to the bonafide farmers who stored their produce at CWC's warehouses. Besides CWC also undertakes training of farmers on post harvest losses minimization and safe storage of foodgrains at farm level. At the end of the training programme, the farmers are provided with metallic storage bins of 1.00 – 1.50 quintals capacity to the farmers for storing their produce/seeds, etc. CWC also issues Negotiable Warehouse Receipt to the depositors and assist the farmers in securing cheap institutional credit.

Question: **What is the commodity-wise utilization of CWC's storage capacity?**

Answer: As on 1.11.2013 the commodity-wise utilization is as under:

Foodgrain (in lakh MT)	
FCI	42.88
Non-FCI	8.26
Total	51.14
Fertilizer	2.80
Other Commodities (in lakh MT)	
Bonded	2.33
CFS/ICD	11.79
Others	21.70
Total	35.82
Grand Total	89.76

Question: **What activities are undertaken by CWC under its Corporate Social Responsibility (CSR) Scheme?**

Answer: Some of the activities under CSR scheme are:

(i) Training of farmers on Post Harvest Losses Minimization

(ii) Distribution of Metallic Storage Bins

(iii) Creation of Rural Marketing Infrastructure on participative basis.

(iv) Creation of Public Convenience facilities in Rural Co-Ed/Girls schools.

(v) Creation of Bus Shelters in rural areas.

(vi) Assistance for setting up of Computer Lab/Library in rural schools.

(vii) Assistance of vehicles for distribution of Mid-day Meals.

(viii) Distribution of tricycles / wheel chairs to differently abled persons.

(ix) Creation of rain water harvesting in public buildings.

(x) Installation of Solar Energy System

(xi) Installation of High Mast Tower in public places.

The above is an illustrative list and not an exhaustive one.

Question: **What are the important parameters in the MOU entered with the Department of Food & Public Distribution, Government of India for the year 2013-14.**

Answer: While striving to achieve the performance targets set forth in the MOU for the year 2013-14, CWC is committed to achieve the following targets:

(i) Create 2.14 lakh MT additional warehousing capacity.

(ii) Invest Rs.35 crore in development of warehousing infrastructure in DCP States.

(iii) Train 175 officials of other agencies on Food Storage Management keeping in view the implementation of the National Food Security Act.

Question : Explain about the Central Railside Warehouse Company Ltd.?

Answer: Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC) a 100% owned subsidiary of Central Warehousing Corporation, with share capital of Rs.40.56 crores and is operating 18 RWCs at Whitefield (Bangalore), Shakur Basti, Nishatpura, Sanathnagar, Nasik Road, Badnera, Ghaziabad, Alam Nagar (Lucknow), Roza (Shahjahanpur), Kandla (Gujarat), Koodal Nagar(Madurai), Yamuna Bridge (Agra), Korrukkupet (Chennai), Hita (Ranchi), Dehri-on-Sone (Bihar), Saswad Road (Pune), Dankuni (West Bengal) and Mysore (Karnataka). The RWC at Jogeshwari in Mumbai is under construction.

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY (WDRA)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Question 1. What is the composition of Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)?

Answer:- The Warehousing Development and Regulatory Authority was established under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 and it consists of one Chairperson and two full time Members. The present composition of the Authority is as given below:-

Name	Designation	Date of Charge assumption
Sh. Dinesh Rai	Chairperson	27.10.2010
Sh. B. K. Bal	Member	01.02.2011
-	Member	Vacant (since 10.08.2013)

Question 2. What is the Mission and Objectives of WDRA?

Answer:- The mission of the WDRA is to ensure that the interests of the farmers are protected through the growth and development in the warehousing sector. The main objectives are to improve the fiduciary trust of depositors and banks, increase liquidity in rural areas, encourage scientific warehousing of goods, lower the cost of financing, promote shorter and efficient supply chains, enhance reward for grading and quality and ensure better price risk management.

Question 3: How the NWR are helpful to farmers?

Answer: The negotiable warehouse receipts issued by the WDRA will help the farmers to seek loans from banks against the NWRs to avoid distress sales of agricultural produce during the peak marketing season and to avoid the post harvest storage loss.

Question 4: Number of commodities notified under the Act?

Answer: The authority had approved 115 commodities including cereals, pulses, oil seeds, spices, rubber, tobacco, coffee etc for issuing negotiable warehouse receipts and also 26 perishable commodities for cold storage.

Question 5: How many godowns have been accredited under The W(D&R) Act,2007?

Answer:- 401 warehouses have been accredited out of which 361 warehouses have been registered with 15.51 lakh MTs storage capacity of Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations and Private Organizations.

.**Question 6: Whether the facilities for post harvest storage loan on NWRs is available?**

Answer:- To discourage distress sale by farmers and to encourage them to store their produce against warehouse receipts the benefit of interest subvention was made available to small and marginal farmers having Kissan Credit Cards for a period of six months @ 7% on negotiable warehouse receipts..

Question 7: What are the Rules and Regulations notified under the W(D&R) Act, 2007 so far?

The following rules and regulations have been notified under the Warehousing (Development and Regulations) Act, 2007:-

RULES

1. Warehousing (Development and Regulation) Registration of Accreditation Agencies Rules, 2010
2. Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010
3. Warehousing(Development and Regulation) Appellate Authority Procedure Rules,2010
4. Warehousing (Development and Regulatory) Authority Annual Statement of Accounts & Records Rules,2010
5. Warehousing (Development and Regulatory) Authority Annual Reports Returns Rules,2010
6. Salaries,Allowances & otherTerms & Condition of Services of chairperson and Members of Warehousing (D&R) Authority Rules,2010
7. Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members Warehousing Development and Regulatory Authority (Amendment) Rules, 2012.

8. The Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2013.
9. The Warehousing (Development and Regulatory) Authority, appointment of Chairperson and other Members Rules, 2013.
10. The Warehousing (Development and Regulatory) Authority, appointment of Chairperson and other Members (Amendment) Rules, 2013.

Regulations:

1. Warehousing Development and Regulation (Registration of Accreditation Agency) Regulations, 2011
2. Warehousing Development and Regulatory Authority (Warehouse Accreditation) Regulations, 2011
3. Warehousing Development and Regulatory Authority (Negotiable Warehouse Receipts) Regulations, 2011
4. Warehousing Development and Regulatory Authority (Meetings) Regulations, 2012
5. Warehousing Development and Regulatory Authority (Maintenance of Records and Accounts of Warehousing Business) Regulations, 2012.

Question 8: **What is the budgetary support for WDRA?**

Answer:- An amount of Rupees six crore and thirty two lakh on the Plan side has been earmarked for Assistance to WDRA for the year 2013-14.

Question 9. **What are the advantages of Negotiable Warehouse Receipts?**

Answer:- The negotiable warehouse receipts provide the following benefits:

- Increased liquidity in rural areas.
- Encouragement of scientific warehousing of goods.
- Lower cost of financing.
- Shorter and more efficient supply chains.
- Enhanced rewards for grading and quality.

- Better price risk management.
- Higher returns to farmers and better (quality) services to the consumers.

Question 10. Who are the Members of Warehousing Advisory Committee of WDRA?

Answer:-

i.	Chairman, Warehousing Development and Regulatory Authority	Chairman
ii.	Members, Warehousing Development and Regulatory Authority	Member
iii.	Additional Secretary & Financial Advisor, Deptt. of Food & PD	Member
iv.	Chairman, Forward Market Commission	Member
v.	Joint Secretary (Storage), Department of Food & PD	Member
vi.	Joint Secretary/Agricultural Marketing Advisor, Department of Agriculture and Cooperation	Member
vii.	Joint Secretary (Consumer Affairs)	Member
viii.	Managing Director, Central Warehousing Corporation	Member
ix.	Director General, Bureau of Indian Standards	Member
x.	Managing Director, Agriculture Insurance Company of India	Member
xi.	Representative of State Bank of India	Member
xii.	Representative of National Bank for Agriculture and RD Not below the rank of General Manager	Member
xiii.	Representative of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry	Member
xiv.	Representative of Confederation of Indian Industry	Member
xv.	Representative of Farmer’s Association	Member
xvi.	Representative of Cooperatives	Member
xvii.	Director, Warehousing Development and Regulatory Authority	Member Secretary

Question 11: **What are the functions of advisory committee?**

Answer:- As per Section 34 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007, the WDRA may constitute WAC for the following functions:-

i) To advise the WDRA on the matters of Regulations under Section 51.

ii) To make recommendations for effective implementation of provisions of this Act.

iii) To advise the Authority on such other matters as may be referred to it.